

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- ओ.पी. चंदेलिया आर.ए.एस


दिनांक :-

क्रमांक :- दुरुरस्ती / 2024 /

:-आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुरस्ती प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट तहसीलदार भादरा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही मौजा मोमनबास के खाता संख्या 69/71, 11/74 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. स.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	मोमनबास	69/71 11/74	सुल्तान पुत्र कुरड़ाराम	सुल्तान सिंह पुत्र कुरड़ाराम

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ  
दिनांक :-

क्रमांक:- सम / 2024 /

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. सुल्तान सिंह पुत्र कुरड़ाराम को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ  
30-07-24

